भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2642
मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण

2642. श्री इमरान मसूदः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जनवरी से जून, 2026 की अवधि के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो कंप्यूटरीकृत पीएसीएस, बहुउद्देशीय पीएसीएस और जन औषधि केंद्रों तथा बैंक मित्रों के रूप में कार्य कर रही पीएसीएस का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निष्क्रिय या घाटे में चल रही पीएसीएस के पुनर्गठन और वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है;

(घ) क्या पीएसीएस के कार्यकरण की ऑनलाइन निगरानी के लिए कोई एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी हाँ, मान्यवर । सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय समितियों के अधीन नियमित निगरानी के माध्यम से प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के डिजिटलीकरण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इस परियोजना की प्रगति की प्रभावी समीक्षा के लिए एक संरचित निगरानी संरचना स्थापित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और कार्यान्वयन समिति (एनएलएमआईसी), राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समितियां (एसएलआईएमसी और डीएलआईएमसी), राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) (मुख्य सचिव के अधीन) और जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) (जिला कलेक्टर के अधीन) शामिल

हैं । ये निकाय पैक्स कंप्यूटरीकरण सहित सहकारी क्षेत्र की सभी पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और समन्वय सुनिश्चित करते हैं । समीक्षा बैठकों के दौरान, पैक्स के ऑनलाइन कार्यकलापों को समय पर पूरा करने के लिए उनके प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी की जाती है, जो पैक्स स्तर पर वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है ।

सरकार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), सिस्टम इंटीग्रेटर्स और अन्य हितधारकों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से **पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना** के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा भी करती है । परियोजना की प्रगति की निगरानी ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस), परियोजना डैशबोर्ड और आवधिक फील्ड समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है ।

जनवरी से जून, 2026 तक की अवधि के दौरान, हार्डवेयर परिनियोजन, ईआरपी ऑनबोर्डिंग, पैक्स के गो-लाइव, डिजिटल लेनदेन, सांविधिक संपरीक्षा और विभिन्न राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ अभिसरण में निरंतर प्रगति हुई है । राज्य-विशिष्ट व्यावसायिक अपेक्षाओं और प्रचालन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर परियोजना में निरंतर वृद्धि और अनुकूलन भी किया जा रहा है ।

(ख) **दिनांक 30.06.2026** की स्थिति के अनुसार केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के अधीन **63,686 पैक्स** को ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया गया है । अनुमोदित पैक्स, वितरित हार्डवेयर और ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए पैक्स का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्योरा **संलग्नक-'क'** में दिया गया है ।

भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों और गांवों को आच्छादित करने के उद्देश्य से नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को अनुमोदित किया है । इसके अधीन पंजीकृत सहकारी समितियों का राज्य-वार ब्योरा **संलग्नक- 'ख'** में दिया गया है ।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) योजना के अधीन, पैक्स से 4,275 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,255 को प्रारंभिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है, 900 ने ड्रग लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं, 846 को स्टोर कोड आबंटित किए गए हैं और 645 केंद्र, जन औषधि केंद्रों के रूप में प्रचालनरत हो गए हैं । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची **संलग्नक- 'ग'** में दी गई है ।

सहकारिता में सहकार अभियान के अंतर्गत जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्रों के रूप में कार्यरत गैर-ऋण प्राथमिक सहकारी समितियों (डेयरी आदि) की सूची **संलग्नक- 'घ'** के रूप में संलग्न है ।

(ग) सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), जिनमें वे समितियां भी शामिल हैं जिनका प्रदर्शन अपेक्षा से कम है या जिनके बंद होने का जोखिम है, के पुनर्गठन और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई है । इस केंद्रीय दृष्टिकोण में इन समितियों को अपनी दीर्घकालिक वित्तीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक रूप से जीवंत, बहुउद्देशीय संस्थाओं में रूपांतरित करना शामिल है । इस कार्य योजना के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल है:

1. बहुउद्देशीय पैक्स (एम-पैक्स) का गठन:- नई बहुउद्देशीय पैक्स /डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है, जो भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि के अभिसरण के माध्यम से लागू की जाती है।

इस रणनीति में नए एम-पैक्स के गठन और मौजूदा पीएसीएस को ऋण और कई गैर-ऋण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बहुउद्देशीय संस्थाओं में बदलने दोनों की परिकल्पना की गई है।

2. बहुउद्देशीय समितियों में रूपांतरण: सरकार ने आदर्श उपविधियां तैयार कर परिचालित की हैं जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप शुरू करके अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने में सक्षम बनाते हैं । इन उपविधियों को अपनाकर, पैक्स अब कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी), जन औषधि केंद्रों, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में कार्य कर सकते हैं और एलपीजी/पेट्रोल वितरण एवं ग्रामीण जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं । यह विविधीकरण उन्हें मुख्य रूप से क्रेडिट-उन्मुख समितियों से आधुनिक सेवा केंद्रों में रूपांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । विभिन्न गतिविधियों में शामिल पैक्स का विवरण **संलग्नक-'ङ'** में दिया गया है।

3. वित्तीय सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण : बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 63क के अधीन, रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और उनकी अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक समर्पित कोष स्थापित किया गया है ।

"प्रदर्शन की कमियों" को दूर करने और कार्यात्मक क्षमताओं को सशक्त करने के लिए, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) ने एक लाख पैक्स सचिवों के क्षमता निर्माण हेतु एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है । इस पहल का उद्देश्य पैक्स सचिवों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने, व्यावसायिक कार्यकलापों के विविधीकरण को बढ़ावा देने और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को सशक्त करने के लिए अपेक्षित प्रबंधकीय और प्रशासनिक दक्षताओं से सज्जित करना है।

इस प्रयोजन हेतु एक विस्तृत प्रशिक्षण और अध्ययन सामग्री तैयार की गई है । वैमनीकॉम, पुणे में दिनांक 24-25 मार्च, 2026 को राष्ट्र-स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रम संचालित किया गया था जिसमें एनसीसीटी के विभिन्न संस्थानों के 43 संकाय सदस्यों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया ।

4. प्रचालनात्मक आधुनिकीकरण और पारदर्शिता: कंप्यूटरीकरण परियोजना: ₹2,925.39 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ यह परियोजना कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी- आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ला रही है । इसका उद्देश्य शासन में सुधार करना, लेनदेन लागत को कम करना और सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित करना है । सरकार भौगोलिक आच्छादन और वित्तीय प्रदर्शन की कमियां चिह्नित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का प्रयोग करती है जिससे अच्छा प्रदर्शन न करने वाली समितियों के लिए नीति निर्माताओं द्वारा लक्षित इंटरवेंशंस करना संभव होता है ।

5. अवसंरचना विकास

(i) विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना: भांडागारों और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण द्वारा पैक्स को सशक्त किया जा रहा है ।

(ii) सरकार विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अभिसरण से पैक्स की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार हेतु भारतीय खाद्य निगम और नेफेड जैसी एजेंसियों से किराया आश्वासनों के माध्यम से उन्हें स्थिर किराया आय उत्पन्न करने वाली अवसंरचना प्रदान करते हुए उनकी सहायता कर रही है ।

(iii) सहकार नवाचार योजना: वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू की गई यह योजना सहकारी समितियों, विशेषकर उन समितियों की सहायता करती है जिनके पास पर्याप्त संपार्श्विक की कमी है, को नई प्रौद्योगिकी और व्यवसाय मॉडल को अपनाने के लिए ₹25 लाख तक की सहायता अनुदान प्रदान करती है ।

इन उपर्युक्त पहलों के अलावा, मंत्रालय, नाबार्ड के द्वारा निष्क्रिय या घाटे में चल रहे पैक्स के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न पहलों को लागू कर रहा है जो इस प्रकार हैं: -

I. **घाटे में चल रही और निष्क्रिय पैक्स का पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण:** नाबार्ड ने बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) दृष्टिकोण के माध्यम से लगभग 59,000-60,000 घाटे में चल रहे और गैर-कार्यात्मक पैक्स के पुनरुद्धार के लिए एक संरचित कार्यक्रम तैयार किया है। पैक्स को नैदानिक मूल्यांकन करने और पूंजी वृद्धि, व्यवसाय विकास, शासन सुधार और परिचालन दक्षता को कवर करते हुए टर्नअराउंड योजनाएं (टीएपी) तैयार करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

II. **पैक्स एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (पीएपी):-** नाबार्ड क्रेडिट संचालन से परे पैक्स व्यवसायों में विविधता लाने के लिए पैक्स एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (पीएपी) को बढ़ा रहा है। गतिविधियों में व्यवहार्य व्यावसायिक अवसरों की पहचान, डीपीआर तैयार करना, वित्तपोषण सहायता, ऋण प्रक्रियाओं का मानकीकरण और हैंडहोल्डिंग समर्थन शामिल हैं।

III. **क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग: -** पैक्स बोर्डों, सीईओ, सचिवों और कर्मचारियों, संसाधन सहायता एजेंसियों (आरएसए) और संसाधन व्यक्तियों (आरपी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिन्हें व्यवसाय योजना, शासन और परिचालन सुधार पर निरंतर मार्गदर्शन के लिए तैनात किया जा रहा है।

IV. **प्रौद्योगिकी सक्षमता और कम्प्यूटरीकरण: -** नाबार्ड पैक्स कम्प्यूटरीकरण और एमआईएस, डैशबोर्ड और निगरानी पोर्टलों के विकास के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन का समर्थन कर रहा है। एक प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल डैशबोर्ड (एनडीडी) पैक्स को मजबूत करने और पुनरुद्धार पहल के परिणामों की निगरानी करेगा।

V. **शासन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण: -** पैक्स के शासन मानकों, लेखा परीक्षा, अनुपालन प्रणालियों और पेशेवर प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नाबार्ड डीसीसीबी/एसटीसीबी के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा दे रहा है और संबद्धता और वित्तीय स्थिरता योजनाओं का समर्थन कर रहा है।

VI. **निगरानी और समीक्षा तंत्र -** राज्य-वार और जिला-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) को पैक्स को कार्यान्वयन, व्यापार विविधीकरण, परियोजना मंजूरी, संवितरण और हैंडहोल्डिंग सहायता की निगरानी का काम सौंपा गया है।

(घ) और (ङ) केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के अधीन, देश भर में पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए एक **कॉमन ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर** का विकास एवं कार्यान्वयन किया गया है । यह सॉफ्टवेयर सदस्यता

प्रबंधन, ऋण प्रचालनों, जमा, उर्वरक और बीज वितरण, इन्वेंट्री प्रबंधन, लेखांकन, सांविधिक संपरीक्षा, एमआईएस और अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए एकीकृत मॉड्यूल्स प्रदान करता है । डिजिटल अभिलेख प्रबंधन में सुविधा प्रदान करने, पारदर्शिता में सुधार लाने और मानवीय अभिलेखन पर निर्भरता घटाने के लिए पैक्स के लीगेसी डेटा को डिजिटलीकृत करके ईआरपी प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिया गया है ।

ईआरपी प्लेटफॉर्म निर्बाध बैंकिंग प्रचालनों और डिजिटल सेवा प्रदाय के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और अन्य डिजिटल प्लेटफार्म्स के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है । इसके अलावा, केंद्रीकृत एमआईएस और प्रोजेक्ट डैशबोर्ड मंत्रालय और अन्य प्राधिकृत हितधारकों द्वारा ईआरपी ऑनबोर्डिंग, गो-लाइव स्थिति, डिजिटल लेनदेन, सांविधिक संपरीक्षा और अन्य कार्यान्वयन माइलस्टोन्स की ऑनलाइन निगरानी को सक्षम बनाता है । यह ईआरपी सिस्टम डिजिटल अभिलेखों का अनुरक्षण, ऑडिट ट्रेल और मानकीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग उत्पन्न करने में भी सहायता प्रदान करता है, जिससे पैक्स के कार्यकरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ती है ।

संलग्नक-'क'

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	अनुमोदित पैक्स	हार्डवेयर डिलीवर किए गए	ईआरपी ऑनबोर्ड किया गया
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	46	46
2	आंध्र प्रदेश	2,037	2,021	2,021
3	अरुणाचल प्रदेश	139	14	14
4	असम	850	709	581
5	बिहार	4,495	4,477	4,482
6	छत्तीसगढ़	2,028	2,028	2,028
7	दमन और दीव	9	4	4
8	गोवा	86	58	55
9	गुजरात	6,216	5,754	5,760
10	हरियाणा	710	710	710
11	हिमाचल प्रदेश	1,885	1,789	1,598
12	जम्मू और कश्मीर	708	537	537
13	झारखंड	2,797	1,500	1,491
14	कर्नाटक	5,894	5,491	4,590
15	लद्दाख	10	10	10
16	मध्य प्रदेश	5,455	4,536	4,536
17	महाराष्ट्र	12,178	12,000	12,033
18	मणिपुर	308	196	214
19	मेघालय	330	108	103
20	मिजोरम	99	49	45
21	नागालैंड	231	231	142
22	ओडिशा	4,240	0	0
23	पुदुचेरी	45	45	44
24	पंजाब	3,482	3,456	3,454
25	राजस्थान	8,525	6,781	6933
26	सिक्किम	131	107	107
27	तमिलनाडु	4,561	4,532	4,481
28	त्रिपुरा	475	268	268
29	उत्तर प्रदेश	6,257	3,581	3,219
30	उत्तराखंड	1,216	670	668
31	पश्चिम बंगाल	4,187	4,167	3,512
	कुल	**79,630**	**65,875**	**63,686**

संलग्नक -'ख'

दिनांक 15.07.2026 तक नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नई सहकारी समितियों की स्थापना			
		पैक्स	डेयरी	मात्स्यिकी	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	2	11	14
2	आंध्र प्रदेश	11	1,067	2	1,080
3	अरुणाचल प्रदेश	136	25	29	190
4	असम	580	725	89	1,394
5	बिहार	61	4,498	2	4,561
6	छत्तीसगढ़	517	361	336	1,214
7	गोवा	38	5	4	47
8	गुजरात	662	810	26	1,498
9	हरियाणा	40	197	6	243
10	हिमाचल प्रदेश	136	854	12	1,002
11	जम्मू और कश्मीर	232	1,339	40	1,611
12	झारखंड	45	300	227	572
13	कर्नाटक	265	1,264	52	1,581
14	केरल	0	0	0	0
15	लद्दाख	3	3	1	7
16	लक्षद्वीप	0	0	29	29
17	मध्य प्रदेश	680	1,349	255	2,284
18	महाराष्ट्र	212	1,223	167	1,602
19	मणिपुर	127	27	71	225
20	मेघालय	290	17	19	326
21	मिजोरम	97	2	2	101
22	नागालैंड	50	5	19	74
23	ओडिशा	1,539	1,009	61	2,609
24	पुदुचेरी	4	3	3	10
25	पंजाब	153	1,027	52	1,232
26	राजस्थान	2,003	3,295	31	5,329
27	सिक्किम	27	77	4	108
28	तमिलनाडु	27	940	36	1,003
29	तेलंगाना	0	166	102	268
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5	0	1	6
31	त्रिपुरा	294	2	26	322
32	उत्तर प्रदेश	1,364	4,450	514	6,328
33	उत्तराखंड	606	269	124	999
34	पश्चिम बंगाल	25	241	3	269
	कुल	**10,230**	**25,552**	**2,356**	**38,138**

संलग्नक-'ग'

पीएम जनऔषधि केंद्र के रूप में पैक्स						
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**प्राप्त आवेदनों की संख्या**	**दिए गए प्रारंभिक अनुमोदनों की संख्या**	**प्राप्त ड्रग लाइसेंस**	**जारी किए गए स्टोर कोड**	**प्रचालनात्मक**
1	उत्तर प्रदेश	825	825	267	226	129
2	आंध्र प्रदेश	209	209	127	121	96
3	मध्य प्रदेश	308	308	87	87	79
4	महाराष्ट्र	407	407	61	61	48
5	जम्मू और कश्मीर	121	116	51	51	44
6	पंजाब	149	148	41	36	31
7	राजस्थान	211	209	34	34	27
8	छत्तीसगढ़	159	159	33	33	27
9	बिहार	381	377	33	33	30
10	कर्नाटक	222	222	28	28	25
11	उत्तराखंड	76	76	27	27	24
12	गुजरात	174	174	14	14	6
13	तेलंगाना	53	53	11	11	9
14	ओडिशा	155	150	10	10	9
15	असम	136	136	10	10	9
16	हरियाणा	97	97	9	9	9
17	हिमाचल प्रदेश	65	65	9	9	8
18	झारखंड	82	82	8	8	6
19	केरल	50	48	7	7	7
20	पश्चिम बंगाल	20	19	7	7	7
21	तमिलनाडु	167	167	7	5	3
22	अरुणाचल प्रदेश	53	53	5	5	2
23	मणिपुर	22	22	5	5	2
24	सिक्किम	11	11	2	2	2
25	मिजोरम	30	30	2	2	1
26	त्रिपुरा	27	27	1	1	1
27	पुदुचेरी	17	17	1	1	1
28	मेघालय	9	9	1	1	1
29	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8	8	1	1	1
30	गोवा	3	3	1	1	1
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14	14	0	0	0
32	लद्दाख	10	10	0	0	0
33	नागालैंड	3	3	0	0	0
34	लक्षद्वीप	1	1	0	0	0
	कुल	**4,275**	**4,255**	**900**	**846**	**645**

संलग्नक-'घ'

सहकारिता में सहकार अभियान के अधीन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के बैंक मित्र के रूप में कार्यरत गैर-क्रेडिट प्राथमिक सहकारी समितियों (डेयरी आदि) की सूची

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**बैंक मित्र**
गुजरात	10,159
ओडिशा	5
मध्य प्रदेश	16
उत्तर प्रदेश	9
राजस्थान	3,130
बिहार	830
छत्तीसगढ़	194
हरियाणा	7
झारखंड	24
महाराष्ट्र	236
मिजोरम	8
मणिपुर	1
सिक्किम	78
तेलंगाना	26
त्रिपुरा	5
उत्तराखंड	70
कुल	**14,798**

संलग्नक-‘ ङ’

क्रम सं.	कार्यकलाप	पैक्स की संख्या
1	सामान्य सेवा केंद्र (सिएससी)	56019
2	उर्वरक वितरण केंद्र	41715
3	शुष्क भंडारण सुविधाएँ	31633
4	प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र	27544
5	उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस	23713
6	खाद्यान्न की खरीद	20651
7	बीज वितरण	16463
8	कीटनाशक वितरण	7886
9	कृषि यंत्रों की हायरिंग	7451
10	किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)	752
11	सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना	718
12	जन औषधि केंद्र	693
13	नकद सेवा केंद्र सुविधाएँ	626
14	खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएँ	588
15	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत	541
16	उपभोक्ता व्यवसाय	418
17	शीत भंडारण सुविधाएँ	405
18	पीएम-कुसुम योजना	198
19	पानी समिति	173
20	एलपीजी डीलरशिप	154
21	पेट्रोल/डीजल पंप की डीलरशिप	139
22	थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप	113
23	दुग्ध संग्रहण इकाई सुविधा	106
24	क्या सहकारी समिति मत्स्य पकड़ने के कार्य में संलग्न है	76
25	पर्यटन	2

स्रोत : राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी)